


15/11/19

वकील वादी व प्रति. सं. 1 आउड उपो
 प्रतिकारी सं. 6 माउड की तम्बी हेतु
 तम्बाण रजिण्डाक एडी पेडा कले के
 किले दि० 10/3/18 को आदेशित किया गया
 इसके पश्चात् दि० 14/2/17 को भी प्रति०
 की तम्बी हेतु तम्बाण पेडा कले हेतु
 अन्तिम अवसर दिया गया लेकिन वकील
 वादी ने तम्बी हेतु तम्बाण पेडा नहीं
 किया इसके पश्चात् वकील वादी को
 दि० 10/10/19 व 25/10/19 को प्रतिबन्धी
 की तम्बी रजिण्डाक एडी तम्बाण पेडा
 करने हेतु अन्तिम अवसर
 दिये जाने के उपरान्त भी तम्बी हेतु
 तम्बाण पेडा नहीं किये हैं अतः प्रापत्र
 प्राची अन्तर्गत धारा 09 R 05 CPC के तहत
 अदम तकमील (NON-compliance) में
 रवारिज किया जा रहा है पञ्चवर्षी नम्बर
 से कठ होकर बाद तकमील भूणवाद के
 साथ संपन्न हो। सुन्ना गया

2015
 607
 2015/11/19


 सहायक कलेक्टर
 अलवर (राज०)